राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21
(दिसम्बर, 2020 तक)

पशुधन भवन, टोंक रोड़ जयपुर

प्रगति प्रतिवेदन
2020–21

1 प्रस्तावना

राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों में मत्स्य विकास को गति दिये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र मत्स्य विभाग की स्थापना वर्ष 1982 में की गई। इससे पूर्व मत्स्य विकास कार्यों का संचालन राज्य के पशुपालन विभाग के अधीन था। राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं उत्पादन हेतु लगभग 4.30 लाख हैक्टयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 3.36 लाख हैक्टयर जलक्षेत्र बड़े व मध्यम जलाशयों के रूप में, 0.94 लाख जलक्षेत्र छोटे जलाशय एवं तालाबों के रूप में तथा इसके अतिरिक्त 0.87 लाख हैक्टयर नदियों व नहरों के रूप में उपलब्ध है।

2. विभाग का उद्देश्य

(1) उत्तम किस्म के मत्स्य बीज का उत्पादन, संग्रहण एवं संवर्द्धन।
(2) मत्स्य उत्पादन में वृद्धि।
(3) जलाशयों को मत्स्य उत्पादन के लिये पट्टे पर देकर राज्य सरकार के लिये राजस्व अर्जित करना।
(4) इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण देकर जलक्षेत्र आवंटन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
(5) मत्स्य विकास के फलस्वरुप जनता को मछली के रूप में सस्ता प्रोटीनयुक्त आहार उपलब्ध कराना।

3. जलक्षेत्र का वर्गीकरण

राज्य में लगभग 15561 जलाशय उपलब्ध है, इनमें से सिंचाई विभाग के 2263 जलाशयों का उपयोग मत्स्य पालन के लिये विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिनमें 'क' श्रेणी के 210 जलाशय, 'ख' श्रेणी के 310 जलाशय, 'ग' श्रेणी के 754 जलाशय और 'घ' श्रेणी 989 जलाशय हैं। इनमें से 1914 जलाशय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्हें मत्स्य पालन हेतु स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

विभाग के पास उपलब्ध एवं पंचायत राज को हस्तान्तरित जलाशयों का जिलेवार व श्रेणीवार विवरण संलग्न तालिका **प्रपत्र–1** पर उपलब्ध है।

4. विभागीय संगठन

मत्स्य सम्पदा को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करने हेतु मत्स्य विभाग को विभिन्न स्तरों पर संगठित किया गया है। विभाग में कुल 461 पद सृजित हैं जिसमें से निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का है। कुल सृजित 461 पदों में से 179 पद भरे हुए एवं 282 पद रिक्त है। पदों का ब्यौरा **प्रपत्र–2** पर उपलब्ध है।

4.1 राज्य स्तर पर

निदेशक की सहायता के लिये विभाग में एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक दो सहायक निदेशक मत्स्य मुख्यालय/योजना, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी, एक सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं राज्य स्तर पर उदयपुर में सहायक निदेशक मत्स्य (प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण) कार्यरत है।

4.2 क्षेत्रीय स्तर पर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये उप निदेशक मत्स्य का कार्यालय उदयपुर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग के अन्य संभागों में कार्यरत कार्यालयों का नियन्त्रण मुख्यालय स्तर से किया जाता है।

4.3 जिला स्तर पर

जिला स्तर पर स्थापित कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय
(1) जयपुर (2) कोटा (3) बांसवाड़ा

(ख) मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय
(1) करौली (2) पाली (3) झालावाड (4) बारां (5) सवाईमाधोपुर (6) सिरोही (7) भीलवाड़ा (8) टोंक (9) अजमेर (10) प्रतापगढ (11) उदयपुर (12) चित्तौड़गढ़ (13) हनुमानगढ़ (14) भरतपुर (15) जोधपुर (16) डूंगरपुर (17) कासिमपुरा (कोटा) (18) अलवर

(ग) मत्स्य परियोजना अधिकारी कार्यालय
(1) बून्दी (2) दौसा (3) रावतभाटा (चित्तौड़गढ)

विभाग में संचालित योजनाओं को और अधिक गति प्रदान करने के लिए राज्य में आयोजना व्यय में निम्न कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

(1) मत्स्य विकास अधिकारी, राजसमन्द (2) मत्स्य विकास अधिकारी, बीसलपुर बंध (मुख्यालय देवली) टोंक (3) मत्स्य विकास अधिकारी, गंगानगर (मुख्यालय सूरतगढ़) (4) मत्स्य विकास अधिकारी, जयसमन्द, उदयपुर (5) मत्स्य विकास अधिकारी, माही बजाजसागर बांसवाडा (6) मत्स्य विकास अधिकारी, कडाना बैक वाटर, सागवाड़ा (डूंगरपुर)

5. मत्स्य क्षेत्र अधिनियम एवं नियम

राज्य में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1953 एवं नियम 1958 (समय–समय पर संशोधित) विद्यमान है जिनकी पालना विभाग द्वारा की जाती है।

6. मत्स्य बीज उत्पादन एवं संग्रहण

अंतर्देशीय मत्स्य विकास कार्यक्रम हेतु उन्नत प्रजाति की मछलियों के बीज उत्पादन एवं संग्रहण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य में लगभग 1200 मिलियन मत्स्य बीज की प्रति वर्ष आवश्यकता है। इसके लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, कासिमपुरा (कोटा), राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, गिलवा (टोंक), मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, गुवाड़ी (भीलवाड़ा), मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, सूरसागर (कोटा), मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, लखूवाली (हनुमानगढ) एवं मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, सिलीसेढ (अलवर) के आधुनिक हैचरियों से मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जाता है।

निजी क्षेत्र में तीन मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयां क्रमशः हनुमानगढ़, सूरतगढ़ व टोंक में हैं। साथ ही तीन मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी राजकीय उपक्रमों द्वारा संचालित है, जो क्रमशः केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस संघ उदयपुर द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालयों द्वारा मत्स्य स्पॉन प्राप्त कर ग्रामीण मौसमी तलाइयों में फ्राई/फिंगरलिंग स्तर तक पालन कर जिले के मत्स्य कृषकों को विक्रय किया जाता है। राज्य में विभागीय, राजकीय उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की हैचरियों से उत्पादित मत्स्य बीज के अतिरिक्त मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसायियो द्वारा राज्य के बाहर जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व हरियाणा से भी मत्स्य बीज का आयात किया जाता है।

वर्ष 2019–20 में राज्य में कुल वार्षिक लक्ष्य 1000.00 मिलियन फ्राई के विरूद्ध 1226.41 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन/संग्रहण किया गया। वर्ष 2020–21 के कुल वार्षिक लक्ष्य 1050.00 मिलियन फ्राई के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 995.46 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन/संग्रहण किया गया है। जिसमें से विभागीय हैचरियों से 140.82 मिलियन फ्राई, प्राइवेट हैचरियों से 79.86 मिलियन फ्राई एवं आयातित 754.02 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन/संग्रहण किया गया।

7. मत्स्य उत्पादन

जलाशयों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज संग्रहण कर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। राज्य में वर्ष 2019–20 के कुल वार्षिक लक्ष्य 58000.00 मै. टन के विरूद्ध 58138.21 मै.टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। वर्ष 2020–21 के कुल वार्षिक लक्ष्य 61000.00 मैट्रिक टन के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक 34832.11 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है।

8. राजस्व

विभाग द्वारा जलाशयों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संग्रहण, संवर्द्धन कर उन्हें पांच वर्ष हेतु स्टेजेज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ोतरी के आधार पर मत्स्य आखेट हेतु लीज पर देकर राजस्व अर्जित किया जाता है।

विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से सभी प्रवर्गों के जलाशयों को दीर्घ अवधि के लिये ठेके पर देने हेतु मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 (समय समय पर संशोधित) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अन्तर्गत जलाशयों को राजस्व के आधार पर चार प्रवर्गों में निम्न प्रकार विभाजित किया गया हैः–

1 'क' प्रवर्ग – प्रति वर्ष रुपये 5.00 लाख और उससे अधिक राजस्व प्राप्त होने वाले जलाशय।

2 'ख' प्रवर्ग – प्रति वर्ष 50,000 रुपये एवं अधिक किन्तु 5.00 लाख रुपये से कम राजस्व वाले जलाशय।

3 'ग' प्रवर्ग – प्रति वर्ष 10,000 रुपये एवं अधिक किन्तु 50,000 रुपये से कम राजस्व वाले जलाशय।

4 'घ' प्रवर्ग – प्रति वर्ष 10,000 रुपये से कम राजस्व वाले जलाशय।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्णयानुसार ''ख'' प्रवर्ग के जलाशय जिला परिषद, ''ग'' प्रवर्ग के जलाशय पंचायत समिति एवं ''घ'' प्रवर्ग के अधिकांश जलाशय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2019–20 में राजस्व आय प्राप्ति के संशोधित लक्ष्य 6736.00 लाख थे जिसके विरूद्ध वर्ष 2019–20 में रुपये 6467.20 लाख का राजस्व अर्जित किया गया। वर्ष 2020–21 में राजस्व आय प्राप्ति के लक्ष्य 7585.00 लाख थे जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक रुपये 2617.27 लाख का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

9. मत्स्य प्रशिक्षण,सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमः–

राज्य में मत्स्य सर्वेक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु सहायक निदेशक मत्स्य, (प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण) उदयपुर की इकाई स्थापित है। वर्ष 2019–20 में 500 लक्ष्यो के विरूद्ध 546 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 500 लक्ष्यो के विरूद्ध 110 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

10 वार्षिक योजना :–

वार्षिक योजना 2019–20 में संशोधित बजट प्रावधान रुपये 407.15 लाख के विरूद्ध रुपये 357.56 लाख का व्यय हुआ है एवं 2020–21 हेतु 514.22 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक रूपये 98.93 लाख का व्यय हो चुका है। जिसका योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

रूपये लाखों में

क्र. सं.	योजना	संशोधित प्रावधान 2019–20	वास्तविक व्यय 2019–20	प्रावधान 2020–21	व्यय 2020–21 (दिसम्बर, 20 तक)
1.	मत्स्य बीज उत्पादन	9.25	8.91	9.25	5.81
2.	सघन जलाशय मत्स्य विकास	0.20	0.00	0.20	0.09
3.	मत्स्य विस्तार एवं प्रशिक्षण	1.00	0.80	1.00	0.00
4.	राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम 1. सक्रिय मछुआरों का दुर्घटना बीमा	0.27	0.26	0.30	0.26
	2. आदर्श मछुआरा ग्राम विकास	12.00	12.00	24.01	0.00
	3. सेविंग कम रिलिफ योजना	0.00	0.00	0.01	0.00
5.	एन. एफ. डी. बी.	1.89	1.88	0.01	0.00
6.	मत्स्य फार्मों का विकास	2.49	0.00	0.00	0.00
7.	स्ट्रेन्थनिंग ऑफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ दी फिशरीज सेक्टर	32.15	27.02	40.00	14.57
8.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	0.35	0.23	0.35	0.00
9.	सुपरवाईजरी स्टाफ निर्देशन एवं प्रशासन	91.15	82.11	114.04	64.61
10.	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम– नीली क्रान्ति	256.40	224.35	325.05	13.59
	योगः–	**407.15**	**357.56**	**514.22**	**98.93**

11 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाः–

वर्ष 2020–21 से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू कर राज्यों में मत्स्य एवं जलकृषि विकास को प्रोत्साहित किया है। इसमें भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रांति योजना को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि का वहन 60:40 व 50:50 केन्द्र व राज्य अंश के रूप में स्वीकृत है, मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं :–

(I) अंतर्देशीय मत्स्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

1. मछली पालन हेतु निजी जमीन पर तालाब का निर्माण :–

निजी जमीन पर मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण, जल व्यवस्था हेतु निर्माण एवं फीड भण्डारण निर्माण के लिए रूपये 7,00,000 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 2,80,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 4,20,000/–) अनुदान देय है।

2. मछली पालन पर प्रथम वर्ष होने वाले उपादान पर खर्च :–

मत्स्य कृषकों को नये तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार तालाब/पोखर में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष में उपादान के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि क्रय हेतु प्रति हैक्टर 4,00,000 लाख रूपये इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 1, 60,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 2,40,000/–) अनुदान देय है।

3. खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण :–

निजी जमीन पर झींगा पालन हेतु तालाब निर्माण, जल व्यवस्था हेतु निर्माण एवं फीड भण्डारण निर्माण के लिए रूपये 8,00,000 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 3,20,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 4,80,000/–) अनुदान देय है।

4 खारे पानी में झींगा पालन पर प्रथम वर्ष होने वाले उपादान पर खर्च :–

मत्स्य कृषकों को नये तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार तालाब/पोखर में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष में उपादान के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि क्रय हेतु प्रति हैक्टर 6,00,000 लाख रूपये इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 2,40,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 3,60,000/–) अनुदान देय है।

5. मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना :–

निजी क्षेत्र में 2 हैक्टर में 10 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता की भारतीय मेजर कार्प मत्स्य बीज हैचरी निर्माण हेतु 25,00,000 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 10,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 15,00,000/–) अनुदान देय है।

6. मछली पकड़ने के शिल्प एवं साज सामान/नाव के क्रय हेतु

नाव, मछली के जाल, मछली व बर्फ रखने के बॉक्स आदि के क्रय हेतु 5,00,000 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 2,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 3,00,000/–) अनुदान देय है।

7. रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) :–

निजी क्षेत्र में **रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) द्वारा** 1 से 8 टैंक में मछली पालन हेतु इकाई लागत अनुसार सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

8. फिश फीड इकाई की स्थापना :–

निजी क्षेत्र में 2 से 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली फिश फीड इकाई की स्थापना हेतु इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

(II) मत्स्य निकासी पश्चात् रखरखाव एवं परिवहन हेतु मत्स्य आधारित संरचना का विकास

1. आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु 10 से 50 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

2. आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज के पुनरूद्धार हेतु रूपये 50,00,000 लाख तक इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 20,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 30,00,000/–) तक अनुदान देय है।

3. खुदरा मछली बाजार एवं संसाधनों के विकास (सामूहिक कोल्ड स्टोरेज, अपशिष्ट संग्रहण एवं निष्कासन इकाई, मत्स्य की सफाई एवं कटाई की जगह एवं मत्स्य नीलामी की जगह, पानी एवं बिजली की व्यवस्था सहित) हेतु खुदरा दुकानों/बाजार की इकाई हेतु 100,00,000 लाख़ इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

4. **मोबाईल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केन्द्र कियोस्क की स्थापना :–**

(मत्स्य संग्रहण/प्रदर्शन हेतु कक्ष, कूलर, तौलने की मशीन एवं मछली कटिंग एवं सफाई व्यवस्था हेतु बर्तन एवं सामान सहित) वास्तविक प्रति इकाई 10,00,000 लाख की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 4,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 6,00,000/–) अनुदान देय है।

5. **प्रशीतित ट्रक के क्रय हेतु :–**

वास्तविक 25,00,000 लाख रूपये की यूनिट दर का इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 10,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 15,00,000/–) अनुदान देय है।

6. **इन्स्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु :–**

वास्तविक 20,00,000 लाख रूपये प्रति ट्रक की इकाई दर का सामान्य वर्ग को इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 8,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 12,00,000/–) अनुदान देय है।

7. **ऑटोरिक्शा आइस बॉक्स सहित के क्रय हेतु :–**

वास्तविक 3,00,000 लाख रूपये इकाई दर पर सामान्य वर्ग को इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 1,20,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 1,80,000/–) अनुदान देय है।

8. **मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित के क्रय हेतु :–**

वास्तविक 75,000 हजार रूपये प्रति इकाई दर के हिसाब से सामान्य वर्ग को इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 30,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 45,000/–) अनुदान देय है।

9. **साईकल आइस बॉक्स सहित :–**

वास्तविक 10,000 हजार रूपये प्रति साईकल इकाई दर सामान्य वर्ग को इकाई लागत पर सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत (रूपये 4,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 6,000/–) अनुदान देय है।

(III) मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

1. सेविंग कम रिलीफ :–

वर्ष 2016–17 में नीली क्रान्ति–सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत सेविंग कम रिलीफ योजना में मत्स्याखेट अवधि में मत्स्य सहकारी समितियों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सक्रिय मछुआरा सदस्यों से 9 माह तक समान किस्तों में रूपये 1500/– एकत्रित किये जाते है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा रूपये 3000/– बराबर अनुपात में सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार कुल एकत्रित राशि रूपये 4500/– को मत्स्य निषेध ऋतु 3 माह में रूपये 1500/– प्रति माह वितरित की जाती है।

2. आदर्श मछुआरा ग्राम विकास :–

नीली क्रान्ति–सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत आदर्श मछुआरा ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के भूमिहीन, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरों को आधार भूत सुविधा जैसे आवास, पीने के लिये पानी, सामुदायीक सुविधाये उपलब्ध करायी जाती है। आवास निर्माण की इकाई लागत रूपये 1.20 लाख निर्धारित है। यह राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर अनुपात में वहन की जाती है। इसके तहत वर्ष 2019–20 में 20 आवासों की स्वीकृति की राशि संबंधित मछुआरों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है तथा कार्य पूर्ण होने वाला है।

3. मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा :–

मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मछुआरों से बीमा प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती है। राज्य सरकार व केन्द सरकार द्वारा क्रमशः 50:50 के आधार पर बीमा प्रीमियम की राशि का वहन किया जाता है। बीमित मछुआरों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर रूपये 2,00,000/– तथा आंशिक स्थाई विकलांगता पर रूपये 1,00,000/– एवं अस्पताल में भर्ती होने पर रूपये 10,000/– तक की व्यय राशि देय होती है। वर्तमान में 4350 मछुआरों का दिसम्बर 2020 तक का बीमा करवाया गया है। वर्ष 2017–18 से यह योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सम्मिलित की गयी है।

(IV) केज कल्चर हेतु अनुदान

जलाशयों एवं अन्य जल स्त्रोतों में केज/पेन मय इनपुट लगाने हेतु रूपये 3.00 लाख प्रति केज के इकाई दर का 50 प्रतिशत रूपये 1.50 लाख की सीमा तक अनुदान देय है।

(V) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

मत्स्य कृषकों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद की सहायता से वर्ष 2019–20 में 546 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2020–21 में बोर्ड द्वारा 500 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण हेतु रूपये 7.54 लाख राशि स्वीकृत की गयी है तथा माह दिसम्बर 2020 तक 110 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(VI) मत्स्य ब्रूड बैंक

नीली क्रान्ति–सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार ने बंध गंभीरी जिला चित्तौड़गढ़ पर रूपये 500.00 लाख की लागत से मत्स्य ब्रुड बैंक की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 तक में रूपये 350.00 लाख की राशि (केन्द्र अंश की राशि रूपये 175.00 लाख सहित) कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को उपलब्ध करा दी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य के मत्स्य विकास हेतु वर्ष 2019–20 में नीली क्रान्ति योजना के तहत राशि रूपये 338.06 लाख की लागत के 6 प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है।

12 स्ट्रेन्थनिंग ऑफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम ऑफ दी फिशरीज सेक्टर

राज्य में मत्स्य उत्पादन के आंकलन हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में उपलब्ध जलस्त्रोतों को सूचीबद्ध करते हुए उनमें मत्स्य उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किये जाने हेतु निदेशालय व 22 जिला कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं। निदेशालय स्तर पर इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। मत्स्य एवं मत्स्य बीज उत्पादन के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

13 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

इस योजनान्तर्गत जलकृषि विकास एवं मछली पालन की विपुल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मछली उत्पादन एवं मछली पालन का विविधिकरण कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं मत्स्य कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु निम्न मुख्य कार्यक्रम विभाग के माध्यम से संचालित हैं:–

13.1 रंगीन मछली एक्वेरियम गैलेरी व ब्रीडिंग यूनिट परियोजना:–

राज्य में बंध बीसलपुर (टोंक) में सजावटी मछली परियोजना का निर्माण की 563.00 लाख की लागत से किया गया है तथा रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी व ब्रीडिंग यूनिट कार्यशील है।

13.2 मत्स्य केज कल्चर नेशनल मिशन प्रोटीन सप्लीमेंट :–

इस योजना के तहत बंध माही बजाज सागर पर 56 केज लगाकर योजना शुरू की गई थी जिसमें से योजना के दो चरणों में अब तक रू. 178.00 लाख का व्यय किया गया है। तृतीय चरण में आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति, बस्सीपाड़ा को केजेज का आवंटन किया गया है तथा वर्ष 2020–21 में योजना के तहत तृतीय चरण हेतु रू. 90.00 लाख स्वीकृत हुये है। यह राशि मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बांसवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। जिससे आदिवासी मछुआरों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो पायेगा।

13.3 फ्रेशवाटर में झींगा पालनः–

इस योजना के अन्तर्गत जिला बारां में 2 मत्स्य अनुज्ञापत्रधारियों को बंध उतावली व बंध लासी में झींगा पालन की स्वीकृति जारी की गई है तथा योजना के तहत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 10.00 लाख का आवंटन किया गया है। जिसके विरूद्ध दोनों लाभार्थियों को कुल रू. 5.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा सफलतापूर्वक झींगा पालन कार्य किया जा रहा है।

13.4 मत्स्य बीज रियरिंग योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 2 मत्स्य कृषकों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2020–21 मत्स्य बीज रियरिंग पौण्ड निर्माण की राशि रू. 3.60 लाख स्वीकृत कराये गये है। जिसका भुगतान किया जा चुका है।

14 अवैधानिक मत्स्याखेट की रोकथाम

मत्स्य सम्पदा की सुरक्षा तथा अवैधानिक मत्स्याखेट को रोकने के लिये विभाग द्वारा निगरानी रखी जाती है। वर्ष 2019–20 में अवैधानिक मत्स्य आखेट के 72 केस पकड़े गये। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक अवैधानिक मत्स्याखेट के 50 केस पकड़े गये है।

विभाग की गत तीन वर्षों की उपलब्धियॉः–

आईटम	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)
मत्स्य उत्पादन (मैट्रिक टन)	55848.99	58138.21	34832.11
मत्स्य बीज उत्पादन (मिलियन फ्राई)	1032.93	1226.41	995.46
राजस्व (रूपये लाखों में)	6188.91	6467.20	2617.27

प्रपत्र–1

विभाग के पास उपलब्ध जलाशय एवं पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित जलाशय की सूची वर्ष 2020–21

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल जलाशय/नहर, नदियां श्रेणीवार					पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित जलाशय श्रेणीवार				विभाग के पास शेष जलाशय/नहर, नदियां श्रेणीवार				
		क	ख	ग	घ	कुल	ख	ग	घ	कुल	क	ख	ग	घ	कुल
1	दौसा	2	8	11	16	37	8	11	16	35	2	0	0	0	2
2	जयपुर	10	23	48	8	89	20	45	8	73	10	3	3	0	16
3	सीकर	2	6	16	9	33	6	15	9	30	2	0	1	0	3
4	झुन्झुनु	0	8	5	2	15	8	5	2	15	0	0	0	0	0
5	अजमेर	13	20	192	7	232	18	191	7	216	13	2	1	0	16
6	नागौर	0	4	10	0	14	2	10	0	12	0	2	0	0	2
7	सवाईमाधोपुर	4	5	3	2	14	4	3	2	9	4	1	0	0	5
8	टोंक	14	25	60	102	201	21	56	101	179	14	4	4	0	22
9	भीलवाडा	25	44	62	261	392	40	62	261	363	25	4	0	0	29
10	बांसवाडा	2	8	38	153	201	6	38	153	197	2	2	0	0	4
11	जोधपुर	3	2	2	0	7	1	2	0	3	3	1	0	0	4
12	चित्तौडगढ	18	20	45	12	95	16	45	12	73	18	4	0	0	22
13	सिरोही	8	21	7	30	66	20	7	30	57	8	1	0	0	9
14	जालौर	3	0	2	13	18	0	2	13	15	3	0	0	0	3
15	अलवर	4	10	9	0	23	9	9	0	18	4	1	0	0	5
16	पाली	17	17	9	6	49	15	9	6	30	17	2	0	0	19
17	भरतपुर	1	1	2	5	9	0	1	5	6	1	1	1	0	3
18	धौलपुर	4	2	4	4	14	1	4	4	9	4	1	0	0	5
19	करोली	5	4	19	3	31	2	19	3	24	5	2	0	0	7
20	झालावाड़	15	23	24	10	72	18	23	10	51	15	5	1	0	21
21	उदयपुर	15	8	21	79	123	7	21	79	107	15	1	0	0	16
22	राजसमंद	5	3	35	65	108	3	35	65	103	5	0	0	0	5
23	बांरा	11	12	58	15	96	9	57	15	81	11	3	1	0	15
24	कोटा	4	6	3	107	120	2	2	107	111	4	4	1	0	9
25	डूंगरपुर	9	6	21	52	88	6	21	52	79	9	0	0	0	9
26	बून्दी	14	19	11	3	47	14	10	3	27	14	5	1	0	20
27	श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	जैसलमेर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
29	बाडमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	प्रतापगढ	0	5	37	25	67	5	37	25	67	0	0	0	0	0
	कुल योग	**210**	**310**	**754**	**989**	**2263**	**261**	**740**	**989**	**1990**	**210**	**49**	**14**	**0**	**273**

प्रपत्र–2

मत्स्य विभाग में वर्ष 2020–21 में सृजित पदों का विवरण दिनांक 31.12.2020 की स्थिति

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक आई.ए.एस.	1	1	0
2	संयुक्त निदेशक मत्स्य	1	1	0
3	उप निदेशक मत्स्य	2	1	1
4	सहायक निदेशक मत्स्य	6	2	4
5	मत्स्य विकास अधिकारी एवं समकक्ष	31	12	19
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
7	लेखाधिकारी	1	1	0
8	सहायक निदेशक सांख्यिकी	1	0	1
9	अति. निजी सचिव	1	1	0
10	निजी सहायक	1	0	1
11	लेखाकार (सहा. लेखाधि. ग्रेड–II)	2	1	1
12	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	0
13	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
14	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	3	0	3
15	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	1	11
16	वरिष्ठ सहायक	22	18	4
17	कनिष्ठ सहायक	40	33	7
18	वाहन चालक	10	1	9
19	जमादार	4	1	3
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27	16	11
21	चौकीदार	5	2	3
22	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	0	1
23	सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक	1	0	1
24	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
25	सहा. म. वि. अधि. एवं समकक्ष	25	0	25
26	मत्स्य निरीक्षक	35	3	32
27	मत्स्य क्षैत्रिक	56	13	43
28	मत्स्य पालक	166	67	99
29	सहायक प्रोग्रामर	1	0	1
30	बोट चालक	1	1	0
कुल योग :–		**461**	**179**	**282**